(b) and (c) As the deliberations at the Meet were at an informal level, the text of the same has not been prepared.

**सिगरेट कम्पनियों को खेल प्रतियोगिताओं के प्रसारण से मिला प्रचार**

5508 **श्रीमती वीणा वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सिगरेट कम्पनियों द्वारा प्रायोजित खेल प्रतियोगिताओं को दूरदर्शन पर दिखाये जाने से इन कम्पनियों को मुफ्त में प्रचार मिलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिगरेट कम्पनियां सरकारी प्रचार माध्यम से सिगरेट का प्रचार कर सकती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विज्ञापन के सम्बन्ध में दूरदर्शन की आचार संहिता का ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी०सिंह देव)**: (क) से (ग) हालांकि सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के दूरदर्शन पर सीधे विज्ञापन पर प्रतिबन्ध है फिर भी स्टेडियम/खेल क्षेत्र में प्रदर्शित ऐसे विज्ञापनों को यह पूरी तरह से हटाने को सुनिश्चित करने में असमर्थ है क्योंकि ऐसे कदम से कवर किए जा रहे खेल के कवरेज में बाधा उत्पन्न होगी।

**हिमाचल प्रदेश में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर**

5509. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय कौन-कौन से कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर कहां-कहां निर्माणाधीन हैं;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में सुन्दर नगर में प्रस्तावित कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना हो चुकी है; यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं और इसके निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और यह कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव)** : (क) वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सुन्दरनगर, मुजनपुर, रामपुर तथा डलहौजी में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ख) और (ग) निर्धारित स्थान की अनुपलब्धता के कारण सुन्दरनगर में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना में विलम्ब हुआ है। हाल ही में एक भूमि स्थल प्राप्त कर लिया गया है और अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को स्थापित करने के लिए भवन निर्माण हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वर्तमान संकेतों के अनुसार ट्रांसमीटर के 1995-96 के दौरान सेवा हेतु चालू किए जाने की आशा है।

**केबल टी०वी० नेटवर्क को लघु उद्योग का दर्जा दिया जाना**

5510. **श्रीमती वीणा वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केबल टी०वी० नेटवर्क को लघु उद्योग का दर्जा दे दिया है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या सरकार इस टी०वी० नेटवर्क पर शिक्षाप्रद कार्यक्रम दिखाने की अनिवार्यता लागू करेगी; और

(ग) क्या सरकार विदेशी चैनलों के नाम पर घटिया और भारतीय संस्कृति के खिलाफ नग्नता व हिंसा दिखाने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने हेतु कोई आचार संहिता लागू करने की अनिवार्यता भी सुनिश्चित करेगी, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी०सिंह देव)**: (क) उद्योग मंत्रालय ने "केबल टी०वी० नेटवर्क की स्थापना और परिचालन" सम्बन्धी गतिविधि को लघु सेवा और व्यापार उद्यम (एस०एस०एस०बी०ई०) के रूप में मान्यता दी है। ये इकाइयां "लघु सेवा और व्यापार उद्यम" के रूप में पंजीकरण प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किए जाने की पात्र होंगी तथा एस०एस०आई० इकाइयों को उपलब्ध सुविधाओं को उपयोग किए जाने की हकदार होंगी बशर्ते वे अन्य निबन्धन व शर्तें पूरा करती हों।

(ख) जी, हां।

(ग) विदेशी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रम, भारतीय कानूनों की सीमा के अन्तर्गत नहीं आते।

**Entry of Foreiga Newspapers**

5511. SHRI RAM NATH KOVIND: Will ths Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government have approved entry of some foreign newspapers through Satellite;